तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/सीलिंग/1871/2002/गंगानगर डूंगर सिंह बनाम सरकार व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23.02.2023	**एकलपीठ** **श्री रामनिवास जाट, सदस्य** **उपस्थित** श्री अभिषेक छाबड़ा, अधिवक्ता अपीलांट श्री रामसुख चौधरी, उप राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 **निर्णय** अपीलांट ने यह अपील धारा 23(2–ए) राजस्थान कृषि भूमि पर अधिकतम जोत सीमा अधिरोपण अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत न्यायालय अति0 जिला कलेक्टर, सर्तकता, श्रीगंगानगर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19–03–2002 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्राधिकृत अधिकारी, गंगानगर द्वारा प्रार्थीगण के सीलिंग प्रकरण संख्या 143/72 का निर्णय दिनांक 04.06.1974 को करते हुये प्रार्थीगण के पास सीलिंग सीमा से अधिक रकबा नहीं होना मानकर कार्यवाही समाप्त करने के आदेश प्रदान कर दिये। तत्पश्चात राज्य सरकार के ध्यान में लाया गया कि प्रार्थीगण के पास सीलिंग सीमा से अधिक भूमि है। जो राज्य हितों के प्रतिकूल है। तत्पश्चात राज्य सरकार द्वारा परीक्षण करने के पश्चात अपने आदेश दिनांक 16.08.1983 को प्रकरण पुनः खोले जाने बाबत आदेश पारित किये। राज्य सरकार के आदेशानुसार प्रकरण पुनः खोला गया। प्रकरण पुनः अति0 जिला कलेक्टर को प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। उभयपक्षों को सुना जाकर अति0 जिला कलेक्टर ने अपने निर्णय दिनांक 08.10.1987 से यह माना कि प्रार्थीगण के पास 19.16 बीघा भूमि अधिशेष होने से उक्त भूमि को अधिग्रहण किये जाने के आदेश दिये। तत्पश्चात अति0 जिला कलेक्टर के उक्त निर्णय के विरूद्ध प्रार्थी द्वारा मंडल में अपील प्रस्तुत की गई। मंडल की एकलपीठ ने अपने निर्णय दिनांक 18.07.1990 से प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित कर	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/सीलिंग/1871/2002/गंगानगर डूंगर सिंह बनाम सरकार व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	दिया। तत्पश्चात प्रकरण पुनः दर्ज रजिस्टर होकर सुनवाई हेतु निर्धारित किया गया और उभयपक्ष को सुनकर अति0 जिला कलेक्टर (सतर्कता), श्रीगंगानगर ने अपने निर्णय दिनांक 19.03.2002 द्वारा प्रार्थी डूंगर सिंह के पास सीलिंग सीमा से अधिक भूमि मानकर अधिग्रहण करने के आदेश पारित कर दिये। अति0 कलेक्टर (सतर्कता), श्रीगंगानगर के उक्त निर्णय से ग्रसित होकर यह अपील प्रस्तुत की गयी है। उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस अपील में सुनी गयी। विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में अपील में मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि न्यायालय अति0कलेक्टर (सतर्कता),श्रीगंगानगर द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम व विधिक प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भूमि की गणना सही प्रकार से नहीं की गई है। डूंगर सिंह के परिवार के 6 सदस्य मानकर 35 एकड़ भूमि का अधिकार दिया। प्रार्थी द्वारा दिनांक 06.03.1967 को 24 बीघा भूमि का बेचान किया गया। उक्त बेचान को कम करने के बाद उसके पास 42 बीघा भूमि शेष बचती है। उक्त आधार पर अप्रार्थी के पास सीलिंग सीमा से कम भूमि है। परन्तु अति0जिला कलेक्टर ने गलत गणना करते हुये भूमि अधिग्रहित करने के विधि विरूद्व आदेश पारित कर दिये। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि प्रार्थी ने 24 बीघा भूमि को बेचान दिनांक 12.06.1967 को क्रेता हरनेक सिंह को कर दिया था। परंतु अधीनस्थ न्यायायल ने यह मानने से इनकार कर दिया कि क्रेता राजस्थान के मूल निवासी है व कृषि उनका पेशा है तथा क्रेता भूमिहीन कृषक है। इसलिए उक्त बेचान को सद्भावी बेचान के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। इस संबंध में विक्रेता डूंगर सिंह की साक्ष्य भी दिनांक 02.09.1985 को हुई। जिस पर प्रतिपक्ष ने किसी	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/सीलिंग/1871/2002/गंगानगर डूंगर सिंह बनाम सरकार व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	भी बिंदू पर कोई भी प्रश्न नहीं किया। इससे यह साबित होता है कि उक्त बेचान 30 डी0डी0(1) के तहत रिकॉग्नाईज किये जाने योग्य है। परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यों पर विचार किये बिना ही अपना आदेश पारित कर दिया जो विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। विद्वान अभिभाषक के तर्क दिया कि मंडल ने अपने पूर्व निर्णय में निर्देश दिये थे कि भूमि की श्रेणी व अनुसूची के अनुसार परिवर्तन कर निर्णय किया जावें। अगर भूमि का परिवर्तन कर गणना की जाती तो प्रार्थी के पास सीलिंग सीमा से कम भूमि होती। परंतु न्यायालय अति0 जिला कलेक्टर (सतर्कता), श्रीगंगानगर ने उक्त निर्देशों की अवहेलना कर निर्णय पारित किया जो विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। बहस के अंत में विद्वान अभिभाषक ने अधीनस्थ न्यायालय अति0 जिला कलेक्टर (सतर्कता), श्रीगंगानगर के निर्णय को विधि विरूद्ध बताते हुये प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया। विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने अपने बहस में कथन किया कि प्रार्थी डूंगर सिंह द्वारा दिनांक 12.06.1967 को जरिये बयनामा 24 बीघा भूमि का हस्तांतरण हरनेक सिंह को किया गया। लेकिन खरीददार हरनेक सिंह का राजस्थान का मूल निवासी होने व उसका पेशा काश्तकार होने तथा उसका भूमिहीन कृषक होने के संबंध में कोई भी साक्ष्य एवं प्रमाण प्रार्थी द्वारा न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया गया। अतः साक्ष्य के अभाव में जो हस्तांतरण किया गया है वह सद्भावी बेचान नहीं था। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि प्रार्थी के पास 66.4 बीघा रकबा था एवं परिवार में 6 सदस्य थे। उक्त आधार पर वह केवल मात्र 54 बीघा भूमि ही धारण कर सकते है। उक्त आधार पर भूमि की गणना करने पर कुल 66.4 बीघा– 54 बीघा = 12.4 बीघा भूमि सीलिंग सीमा से अधिक पायी जाती है जो राज्यहित में अधिग्रहण किये जाने योग्य है। उक्त आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/सीलिंग/1871/2002/गंगानगर डूंगर सिंह बनाम सरकार व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	विधिसम्मत निर्णय पारित किया है। बहस के अंत में विद्वान अभिभाषक ने अधीनस्थ न्यायालय अति0 जिला कलेक्टर (सतर्कता), श्रीगंगानगर द्वारा पारित निर्णय को विधिसम्मत मानते हुये प्रस्तुत अपील को खारिज करने का निवेदन किया। हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का गहनता से अवलोकन किया। न्यायालय अति0 जिला कलेक्टर (सतकर्ता), श्रीगंगानगर ने अपने निर्णय में अंकित किया है किः– '' तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार अप्रार्थी डूंगर सिंह के पास तहसीलदार गंगानगर में 42–04 बीघा रकबा एवं तहसील सुरतगढ़ में 24–00 बीघा रकबा था। इस प्रकार अप्रार्थी के पास 66–04 बीघा रकबा था। जहां तक अप्रार्थी डूंगर सिंह द्वारा किये गये हस्तांतरण का संबंध है। अप्रार्थी द्वारा जरिये बयनामें 12.06.1967 जिसकी प्रति पेश की गई है के अनुसार 24–00 बीघा भूमि का हस्तांतरण हरनेक सिह पुत्र बुरचरण सिंह सा0 6 एल0एन0पी0 को किया गया है लेकिन खरीददार के राजस्थान के मूल निवासी होने एवं उसका पेशा काश्तकारी होने, तथा भूमिहीन होने के संबंध में कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया है एवं इस संबंध में कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया है कि उपरोक्त भूमि का पूरा प्रतिफल प्राप्त कर वास्तविक कब्जे का हस्तांतरण किया है। खरीददार के बयान भी नहीं करवाये गये है। अतः पूर्ण साक्ष्य के अभाव में उक्त हस्तांतरण को सद्भावी होना नहीं माना जा सकता। इस प्रकार अप्रार्थी के पास 66–04 बीघा रकबा था एवं परिवार में 6 सदस्य मुताबिक निर्णय आर0बी0 थे जो 54–00 बीघा भूमि धारण कर सकते है। इस प्रकार शेष (66–04) – (55–00) = 12–04 बीघा सीलिंग सीमा से अधिक है जिसे राज्य हित में अधिग्रहण करने के आदेश दिये	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/सीलिंग/1871/2002/गंगानगर डूंगर सिंह बनाम सरकार व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

जाते है।''

इस सीलिंग प्रकरण में प्रस्तुत समस्त दस्तोवजात और अपीलाधीन निर्णय के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि सीलिंग अधिशेष खातेदार द्वारा उसकी भूमियों को जिन उक्त पक्षकारों को बेचान किया गया है, उनका राजस्थान का मूल निवासी होना तत्समय आवश्यक था। इसके प्रमाण के अभाव में उक्त क्रेतागण व विक्रय पत्र को सद्भावी नहीं माना जा सकता है। सीलिंग अधिशेष भूमि क्रय और उनके क्रेतागण का राजस्थान का मूल निवासी होने के संबंध में कोई विधिक रूप से स्वीकार्य दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसी प्रकार उनके भूमिहीन होने के संबंध में भी कोई दस्तोवेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

परिणामस्वरूप अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस सीलिंग प्रकरण में पारित निर्णय में किसी प्रकार की कोई गंभीर त्रुटि या अनियमितता नहीं पायी जाती है। अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय अति0 जिला कलेक्टर (सतर्कता), श्रीगंगानगर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19.03.2002 यथावत रखा जाता है।

निर्णय प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख नियमानुसार भिजवाया जावे। पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रामनिवास जाट)
सदस्य